UPET010002392007

**न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–03, एटा।**

**उपस्थित – 'कमालुद्दीन' उच्चतर न्यायिक सेवा**

**J.O. Code U.P. 2690**

**जी0 एस 0 टी0 संख्या–104/2007**

उ0प्र0 राज्य

**–––––अभियोजन पक्ष**

**–बनाम–**

1– रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज
निवासी–लालगढ़ी, थाना सिकन्द्रराऊ, जिला हाथरस।

2– श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल
निवासी–भूड़, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा।

**––––––(अभियुक्त श्यामवीर की पत्रावली आदेश दिनांकित 14.10.2022 के माध्यम से पृथक की गयी।)**

3– कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा
निवासी–सोगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा।

**––––––(अभियुक्त कल्लू उर्फ योगेश की पत्रावली आदेश दिनांकित 02.12.2009 के माध्यम से पृथक की गयी।)**

**–––––––––अभियुक्तगण**

अपराध संख्या–44/2007
आरोप पत्र की धारा–2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986
थाना–निधौलीकलॉ, जिला एटा।

| संक्षिप्त विवरण | |
|---|---|
| जी0 एस 0 टी0 संख्या | 104/2007 |
| अपराध संख्या | 44/2007 |
| धारा | 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 |
| थाना | निधौलीकलॉ |
| अभियुक्त | रिंकू उर्फ शैलेन्द्र |
| प्रतिनिधित्व (अभियोजन) | श्री अरूण माहेश्वरी एवं श्री रक्षपाल सिंह शाक्य, विद्वान विशेष लोक अभियोजक |
| प्रतिनिधित्व (अभियुक्त) | श्री निशान्त पुण्डीर, एडवोकेट |
| घटना की तिथि | भिन्न–भिन्न |



Special Judge ( Gangster Act)/
Additional Sessions Judge,Court No.03, Etah.

Digitally signed by KAMALUDDIN
Date: 2026.04.02 16:22:47 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

| | |
|---|---|
| प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने की तिथि | 24.02.2007 |
| आरोप पत्र संख्या व प्रेषण की तिथि | आरोप पत्र संख्या 23/2007, दिनांक 20.03.2007 |
| प्रसंज्ञान की तिथि | 16.05.2007 |
| आरोप विरचित किये जाने की तिथि | 06.06.2011 |
| निर्णय की तिथि | 02.04.2026 |
| निर्णय का परिणाम | दोषमुक्त |

**–निर्णय–**

**1–** जी0 एस 0 टी0 संख्या–104/2007, राज्य बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, अ 0 सं0–44/2007, अन्तर्गत धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा में अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र का इस न्यायालय द्वारा विचारण किया गया।

**2–** अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एस०ओ० श्रवण कुमार यादव, थाना निधौलीकलॉ ने दिनांक 24.02.2007 को जुबानी सूचना थाना निधौलीकलॉ, एटा पर इस आशय की प्रस्तुत की कि–

वह श्रवण कुमार यादव मय कां0 591 राजवीर सिंह मय जीप सरकारी चालक कां० अंगद सिंह के वास्ते गश्त व शान्ति व्यवस्था व भ्रमण, चुनाव सम्बन्धी में बहवाले रपट संख्या–26, समय 14:55 बजे दिन थाना हाजा से रवाना होकर इलाका थाना हाजा में मामूर था कि दौराने गश्त व भ्रमण इलाका थाना हाजा में जानकारी मिली कि रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज सिंह निवासी लालगढ़ी, थाना सिकन्द्रराऊ, जिला हाथरस, श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल निवासी नगला भूड़ थाना निधौलीकलॉ, जनपद एटा व कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा ग्राम सोंगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा का एक संगठित गिरोह है। यह लोग एक गिरोह के रूप में हत्या, हत्या करने का प्रयास लूट आदि जैसे जघन्य अपराध व समाज विरोधी क्रियाकलाप कार्य कर समाज में भय व आतंक पैदा करते है। थाना क्षेत्र एवं आसपास के थाना क्षेत्र व जनपद में आम जनता में इनके क्रियाकलापो के कारण भय एवं आतंक व्याप्त है, इनके भय व आतंक के कारण आम जनता का व्यक्ति इनके विरुद्ध गवाही देने व थाने में रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत नहीं करता है। इनका गैंग आम जनता में भय व आतंक का पर्याप्त बना हुआ है। इस गैंग का गैंग लीडर रिंकू उर्फ शैलेन्द्र उपरोक्त है। यह लोग स्वयं एवं अपने अन्य साथियों के साथ जघन्य अपराध करने में सक्रिय है। यह गैंग व इनके साथी भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के आदी है। इनकी ख्याति समाज में एक कुख्यात गिरोह के रूप में है। यह लोग संगठित होकर जघन्य अपराध करके अवैध रूप से धनोपार्जन करते हैं। जनता में इस गैंग का स्वतंत्र एवं आजाद रहना जनहित में नहीं है। इनका आपराधिक इतिहास इस प्रकार है कि अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र अ 0 सं0 06/2007, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा0 दं0 सं0, अ 0 सं0 83/2006, धारा 394, 302 भा0 दं0 सं0, एन 0 सी0 आर 0 नं0–03/2007, धारा 504, 506 भा0 दं0 सं0 व अपराध संख्या 313/2006, धारा 307, 384 भा0 दं0 सं0 व अभियुक्त श्यामवीर अ 0 सं0 06/2007, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा0 दं0 सं0, अ 0 सं0 83/2006, धारा 394, 302 भा0 दं0 सं0 , एन 0 सी0 आर 0 नं0–03/2007, धारा 504, 506 भा0 दं0 सं0 व अभियुक्त कल्लू उर्फ योगेश अ 0 सं0 06/2007, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा0 दं0 सं0, अ 0 सं0 83/2006, धारा 394, 302 भा0 दं0 सं0 पंजीकृत है। उपरोक्त अभियुक्तों

का यह कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवाराण अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के अधीन दण्डनीय अपराध है।

**3–** मु0 अ 0 सं0–06/2007, धारा 147,148,307,504,506 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर एवं कल्लू उर्फ योगेश, मु0 अ 0 सं0–83/2006, धारा 394,302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर एवं कल्लू उर्फ योगेश, एन०सी०आर०–03/2007, धारा 504,506 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र एवं श्यामवीर के प्रकरण के आधार पर तथा उपरोक्त जुबानी सूचना पर अ 0 सं0–44/2007, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर एवं कल्लू उर्फ योगेश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी, जिसकी चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्रदर्श क–04** दिनांक 24.02.2007 को अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध किता की गयी तथा अपराध का खुलासा जी0 डी0 रपट नं0–35, समय 18:10 **प्रदर्श क–07** पर किया गया।

**4–** प्रकरण की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा बयान वादी व गवाहान व गैंगचार्ट के आधार पर मामले की विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर एवं कल्लू उर्फ योगेश के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अपराध बनने पर उनके विरूद्ध तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा से आरोप पत्र प्रेषित किये जाने की अनुमति **प्रदर्श क–06** प्राप्त कर, विवेचक द्वारा आरोप पत्र संख्या–23/2007 दिनांकित 20.03.2007 **प्रदर्श क–05** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर विद्वान पूर्व विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट, आगरा द्वारा दिनांक 16.05.2007 को प्रसंज्ञान लिया गया।

**5–** न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र एवं श्यामवीर के विरूद्ध धारा–2/3 उ 0 प्र 0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1986 का आरोप दिनांक 06.06.2011 को विरचित किया गया, जिसे अभियुक्तगण द्वारा अस्वीकार किया गया और विचारण की मांग की।

**6–** यहॉ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण कल्लू उर्फ योगेश एवं श्यामवीर की पत्रावली क्रमशः आदेश दिनांकित 02–12–2009 व 14–10–2022 के माध्यम से पृथक की गयी।

**7–** अभियोजन की ओर से अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के विरूद्ध अधिरोपित आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में 05 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है, जो इस प्रकार है:–

| **अभियोजन साक्षी का क्रम संख्या** | **अभियोजन साक्षी का नाम** | **विवरण** |
|---|---|---|
| अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 | सेवानिवृत्त एच 0 सी0 पी0 सोपाली सिंह | तत्कालीन हेड मोहर्रिर |
| अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–02 | निरीक्षक श्रवण कुमार यादव | वादी/शिकायतकर्ता |
| अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–03 | सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव | विवेचक |
| अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–04 | उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह | तत्कालीन सी०सी० |
| अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–05 | बबिता | स्वतंत्र साक्षी |

**8–** अभियोजन की ओर से अपने कथानक के समर्थन में निम्न लिखित प्रलेखों को प्रस्तुत कर साबित कराया गया है:–

| **क्रम सं0** | **प्रपत्र का नाम** | **प्रदर्श संख्या** | **अभियोजन साक्षी का विवरण, जिनके द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता को सिद्ध किया गया है।** |
|---|---|---|---|
| 1 | एफ 0 आई 0 आर 0 मु0 अ 0 सं0– 83/2006 | प्रदर्श क–01 | पी0 डब्लू0–01 सेवानिवृत्त एच 0 सी0 पी0 सोपाली सिंह |
| 2 | कायमी जी०डी० रपट नं०–15 | प्रदर्श क–02 | पी0 डब्लू0–01 सेवानिवृत्त एच 0 सी0 पी0 सोपाली सिंह |
| 3 | गैंगचार्ट | प्रदर्श क–03 | पी0 डब्लू0–02 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव |
| 4 | एफ 0 आई 0 आर 0 मु0 अ 0 सं0– 44/2007 | प्रदर्श क–04 | पी0 डब्लू0–02 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव |
| 5 | आरोप पत्र संख्या 23/2007 | प्रदर्श क–05 | पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव |
| 6 | अभियोग चलाये जाने हेतु अनुमति आदेश | प्रदर्श क–06 | पी0 डब्लू0–03 विवेचक सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव |
| 7 | जी0 डी0 संख्या– 35, समय 18:10 | प्रदर्श क–07 | पी0 डब्लू0–04 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह |
| 8 | एफ 0 आई 0 आर 0 मु0 अ 0 सं0– 06/2007 | प्रदर्श क–08 | पी0 डब्लू0–04 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह |

**9–** अभियोजन पक्ष की साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त का कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 दिनांक 01.07.2025 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए उसने कोई समाज विरोधी क्रियाकलाप नहीं करना बताया है। अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–01 के कथानक को गलत बताया है। साक्षी पी0 डब्लू0–02 के कथानक को गलत बताते हुए कथन किया है कि उस पर दर्शाये गये मुकदमें में न्यायालय से उन्मोचित हो चुका है। पी0 डब्लू0–03 के कथानक को गलत तथ्यों के आधार पर अनुमोदन करना बताया है। पी0 डब्लू0–04 एवं पी0 डब्लू0–5 के कथानक को गलत बताया है। अभियोग को गलत तथा रंजिशन के कारण चलना बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए कहा कि मुकदमा उपरोक्त राजनैतिक दबाब के चलते मुकदमा लगाया गया है।

**10–** अभियुक्त की ओर से सफाई/साक्ष्य में फेहरिस्त 67 ब से अ०सं०–83/2006, धारा 394, 302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा से सम्बन्धित एस 0 एस 0 टी0 संख्या– 26/2007 राज्य बनाम श्यामवीर आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 28.08.2009 की छायाप्रति कागज संख्या 67 ब/3 लगायत 67 ब/5 एवं अ०सं०–06/2007, धारा 147 ,148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–679/2008, राज्य बनाम श्यामवीर आदि की छाया प्रति कागज

संख्या 67 ब/6 लगायत 67 ब/21, अ०सं०–313/2006, धारा 384, 307 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–185/2018 राज्य बनाम शीलेन्द्र उर्फ रिंकू आदि में पारित निर्णयादेश दिनांकित 15.07.2024 की छाया प्रति कागज संख्या 67 ब/22 लगायत 67 ब/32 दाखिल किया गया है।

**11–** अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये मौखिक साक्ष्यों के कथन संक्षेप में इस प्रकार है–

**12–** अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम साक्षी **पी0 डब्लू0–01 सेवानिवृत्त एच 0 सी0 पी0 सोपाली सिंह** को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने अपनी सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 08.07.2006 को वह थाना निधौलीकलॉ में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनात था। मु0 अ 0 सं0–83/2006, धारा 302 भा0 दं0 सं0 बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया गया था। तहरीर के आधार पर यह मुकदमा उसके हस्तलेख से लिखा गया था, जिसकी फोटोस्टेट प्रति उसके लेख व हस्ताक्षर में है। कागज संख्या 10 अ है, प्रदर्श क–1 डाला गया। इसका खुलासा जी0 डी0 में किया गया था, जिसकी अवधि 5 वर्ष व्यतीत होने के बाद नष्ट कर दी गयी है, जिसकी सूचना एस 0 एस 0 पी0 कार्यालय से लिखित में प्राप्त कर प्रमाण पत्र पत्रावली पर संलग्न है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

**13–** इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि मुकदमा उसने वादी की तहरीर पर कायम किया था। वादी रामसनेही पुत्र मटरूलाल निवासी कीलरमऊ, थाना बागबाला, जिला एटा की तहरीर के आधार पर पंजीकृत किया था। मुकदमा की लिखा–पढ़ी में पौन घण्टा लगा था। जब तक उसने लिखा–पढ़ी की थी, तब तक किसी अभियुक्त के बारे में जानकारी नहीं हो पायी थी। मुकदमा की जी0 डी0 मूल आज उसके सामने नहीं है। यह कहना गलत है कि मुकदमा उसने एन्टी टाईम पंजीकृत किया है।

**14–** अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–2 वादी निरीक्षक श्रवण कुमार यादव** को परीक्षित कराया गया, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.02.2007 को थानाध्यक्ष निधौलीकलॉ पर तैनात रहे थे। उस दिन उसके द्वारा एक गैंगचार्ट जिसका गैंगलीडर रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज सिंह यादव निवासी–लाल गढ़ी, थाना सिकन्दराराऊ, जिला हाथरस व सदस्य श्यामवीर सिंह पुत्र नेत्रपाल निवासी नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा व सदस्य कल्लू उर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा निवासी सोंगरा, थाना पिलुआ, जिला एटा के विरुद्ध अ०सं० 06/2007 धारा 147, 148, 307, 504, 506 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध व अपराध सं०–83/2006 धारा 394, 302 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ सभी अभियुक्तगण के विरुद्ध व एन 0 सी0 आर 0–3/2007 धारा 504, 506 भा0 दं0 सं0 थाना निधौलीकलॉ अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र व श्यामवीर के विरुद्ध दर्ज होने की वजह से व मुल्जिमान का जनता में डर भय व आंतक था। सभी मुल्जिमान का एक संगठित गिरोह था, जो जनता में हत्या, लूट जैसे अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अवैध रूप से धनोपर्जन करते थे, इसलिए गैंगस्टर एक्ट में अन्तर्गत निरुद्ध करने हेतु नियमानुसार गैंगचार्ट की संस्तुति सी0 ओ 0 जलेसर, अपर पुलिस अधीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा द्वारा की गयी थी, जिसका अनुमोदन जिला मजिस्ट्रेट एटा द्वारा दिनांक 24.02.2007 को किया गया था। गैंगचार्ट उसके लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली में संलग्न है, जिस पर उसके पद नाम की मुहर लगी है। गैंगचार्ट पर प्रदर्श क–03 डाला गया। इसी गैंगचार्ट के आधार पर मुकदमा अ०सं०–44/2007 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र आदि तीन व्यक्ति की एफ 0 आई 0 आर 0 उसके द्वारा सी०सी० तहसीलदार से गैंगचार्ट में वर्णित तथ्यों व सूचना जुबानी के आधार पर बोलकर लिखायी गयी थी, जिसकी असल चिक एफ 0 आई 0 आर 0 पत्रावली पर नहीं है, फोटोस्टेट कागज सं०–61 व 62 पत्रावली में संलग्न है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसको सही होना वह

अपने हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित कर रहा है। फोटो स्टेट पर प्रदर्श क–04 डाला गया। विवेचक ने दिनांक 03.03.2007 को उसका बयान लिया था।

**15–** इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि वह जनवरी 2007 में थाना निधौलीकलॉ थानाध्यक्ष बनकर गया था, कब तक तैनात रहा उसे निश्चित तिथि याद नहीं है। उसके द्वारा श्यामवीर व रिंकू उर्फ शैलेन्द्र पर दो गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही एक साथ की गयी थी। दोनों गैंगचार्ट में इन दोनों पर एक ही मुकदमें दर्शाये गये है। गैंगलीडर अलग–अलग है व अभियुक्त भी बढ़ाये गये है। जब वह थानाध्याक्ष निधौलीकलॉ के पद पर तैनात था, उस समय इन दोनों पर पुलिस अभियोगों में कोई गैंग दर्ज था, यह उसे ध्यान नहीं है। रिंकू उसके थाना क्षेत्र का रहने वाला नहीं था। रिंकू पर उसके थाने पर इन मुकदमों के अलावा अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले यह जानकारी नहीं की थी कि रिंकू व श्यामवीर ने कोई अवैध सम्पत्ति बनाई है। विवेचक ने जानकारी की होगी। उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले मुल्जिमान की अवैध रुप से धनोर्पाजन के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना किसी से प्राप्त नहीं की थी। जुबानी सूचना प्राप्त की थी, जिसका उसने जी०डी० में तस्करा अंकित किया था या नहीं, ध्यान नहीं है। उसे इस बात का संज्ञान नही है कि गैंगचार्ट में दर्शाये गये मुकदमों में न्यायालय ने मुल्जिमानों को बरी कर दिया है। उसे यह भी ध्यान नहीं है कि उसने गैंगचार्ट के साथ उन मुकदमों की चार्जशीट की कॉपी लगायी थी या नहीं। एफ 0 आई 0 आर 0 की कॉपी गैंगचार्ट के साथ संलग्न की थी। उसने जनता की सूचना व रिकार्ड के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगचार्ट की कार्यवाही की थी। जनता के व्यक्तियों के नाम व पता उसे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि उसने नियम विरुद्ध तरीके से उच्च अधिकारियों के दबाव के चलते गैंगस्टर की कार्यवाही अभियुक्तगण के विरुद्ध की है। यह कहना गलत है कि उसने मुल्जिमान के विरोधियों के कहने पर मुल्जिमान के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की है। यह भी कहना गलत है कि वह आज न्यायालय में सही बात न बताते हुए झूंठी गवाही दे रहा है तथा उसने बिना जांच पड़ताल किये गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही मुल्जिमानों के विरुद्ध की है।

**16–** अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–03 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह थाना जलेसर पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक के पद पर नियुक्त था। उसे उस दिन अपराध सं०–44/2007 थाना निधौलीकलॉ के धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट राज्य बनाम रिंकू आदि की विवेचना मिली थी। उसने दिनांक 01.03.2007 को विवेचना ग्रहण करने का पर्चा काटा था। तीसरा पर्चा उसने दिनांक 30.03.2007 को वादी थानाध्यक्ष श्रवण कुमार यादव, थाना निधौलीकलॉ का बयान लिया। एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक एच०एम० सोपाली सिंह का बयान लिखकर और उसी दिन कां० तहसीलदार व एस 0 आई 0 चन्द्रपाल सिंह व एस० आई० प्रितम सिंह, श्रीमती बबिता पत्नी राजीव गुप्ता ऊर्फ राजू निवासी कस्बा व थाना निधौलीकलॉ व संजीव कुमार पुत्र जगदीश गुप्ता कस्बा व थाना निधौली कला के बयान अंकित किये। दिनांक 15.03.2007 को पर्चा नं०–04 को किता किया, जिसमे रामसनेही पुत्र मटरु लाल, निवासी कीलरमऊ, थाना बागवाला से दर्याफ्त की। पर्चा न०–5 दिनांक 20.03.2007 को किता किया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा से अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। अभियुक्तगण रिंकू ऊर्फ शैलेन्द्र पुत्र वीरराज सिंह यादव निवासी लालगढी थाना सिकन्द्रराऊ, जिला हाथरस व श्यामवीर पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी नगला भूड़, थाना निधौलीकलॉ एटा व कल्लू ऊर्फ योगेश पुत्र पूरन देव शर्मा निवासी सोंगरा थाना पिलुआ, एटा की केस डायरी व अन्य अभिलेखो का अवलोकन किया और अभियुक्तगण के विरुद्ध उसने प्रथम दृष्टया धारा 2/3 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अपराध पाया। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजने हेतु अनुमोदन किया, जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक

19.03.2007 को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा राजा श्रीवास्तव ने आरोप चलाने के आदेश की अनुमति दी थी, जो उसने आरोप पत्र के साथ संलग्न की थी। आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया और अभियुक्तगण को साक्ष्य तलब करके दंडित करने का आग्रह किया। पत्रावली में आरोप पत्र उसके हस्तलिखित व हस्ताक्षरित कागज सं०–3 क/1 जिस पर प्रदर्श क–05 डाला गया। पत्रावली मे कागज सं०–6 क वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा के हस्ताक्षर युक्त आरोप पत्र न्यायालय में भेजने का अनुमति पत्र है, इस पर प्रदर्श क–06 डाला गया।

**17–** इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसने विवेचना सन् 2007 में ग्रहण की थी। दिन महीना नहीं बता सकते। मुकदमा थानाध्यक्ष निधौलीकलॉ द्वारा पंजीकृत किया गया था। थानाध्यक्ष उससे जूनियर थे या सीनियर ये वह नहीं बता सकता, क्योंकि वह थाना जलेसर पर तैनात था। उसने निधौलीकलॉ जाकर कागजो का परिशीलन किया था। मुल्जिमान का गैंग रजिस्टर्ड नहीं था, जो मुकदमें उक्त अभियुक्त पर लगे थे, उस पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की थी। मुल्जिमान पर लूट और 302 भा0 दं0 सं0 का मुकदमा दर्ज था। उसने यह जानकारी नहीं की थी कि लूट की धारा हटा दी गई है। वह मुल्जिमानो के गाँव नहीं गया था। उसने यह जानकारी की थी कि मुल्जिमान की समाजिक छवि के बारे में पूछताछ की थी कुछ लोग खड़े हुए थे, परन्तु उन्होंने अपने गाँव नहीं बताया था और यह भी नहीं बताया था कि वे एटा जिले के रहने वाले है या बाहर के रहने वाले है। उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16,17 व 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानो ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया है या समाज मे भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चाए थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक का पर्याय बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। यह बात सही है कि उसने जनता के किसी निष्पक्ष जनसाक्षी का बयान अंकित नहीं किया है, क्योंकि कोई बयान देने को तैयार नहीं था। उसने गैंगचार्ट मे दर्शाये गए मुकदमों के विवेचक से उनके बारे में, क्या कार्यवाही की जा रही है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसे यह जानकारी नहीं कि मुल्जिमानों के सभी मुकदमें छूट गए है। उसने गैंगचार्ट का प्रमाणित नहीं कराया था, बल्कि थानाध्यक्ष श्रवण कुमार द्वारा प्रमाणित कराया गया था। वह उनके साथ नही गया था। उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमानों ने अपराध करके सम्पत्ति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना मे नही दी। यह कहना गलत है कि उसने सारी विवेचना उच्चधिकारियो के दबाव मे थाने पर बैठकर ही कर दी। यह कहना गलत है कि आज वह न्यायालय मे सही बात नहीं बता रहा है और गलत बयान दे रहा है।

**18–** अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–04 उपनिरीक्षक तहसीलदार सिंह** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 24.02.2007 को थाना निधौलीकलॉ एटा पर बतौर कां० क्लर्क तैनात था। उस दिन उसने श्रवण कुमार यादव के जुबानी बोलने पर अभियुक्तगण रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, श्यामवीर, कल्लू उर्फ योगेश के विरुद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत अ 0 सं0 44/2007 एफ 0 आई 0 आर 0, समय 18:10 बजे किता की थी। चिक एफ 0 आई 0 आर 0 के समय तत्कालीन थाना प्रभारी श्रवण कुमार यादव ने अनुमोदितशुदा गैंगचार्ट व चार्ट में दिखाये मुकदमों में फोटो कॉपी उसे दी थी और जुबानी बोलने पर उसने चिक एफ०आई०आर० किता की थी। चिक एफ०आई०आर० पत्रावली में है। थानाध्यक्ष ने अपने हस्ताक्षर किये थे। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–04 पहले से लिखा है। चिक एफ०आई०आर० की प्रविष्टि नं0–35 पर की गयी थी। जी0 डी0 पत्रावली में कागज संख्या 05 है, जिस पर प्रदर्श क–07 डाला गया। पत्रावली में गैंगचार्ट अ 0 सं0–06/2007, धारा 147,148,149,307,504,506 भा0 दं0 सं0 की चिक एफ०आई०आर० उसके द्वारा

किता की गयी, जो पत्रावली में कागज संख्या 72,73 फोटो स्टेट लगी है। इसको वह प्रमाणित करता है, प्रदर्श क–8 डाला गया।

**19–** इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसे एफ०आई०आर० लिखने का आदेश लिखित में नहीं दिया गया था, मौखिक दिया गया था। उसने इन मुल्जिमानों के खिलाफ दो पृथक प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगस्टर एक्ट की एक ही दिन में किता की थी। दोनों एफ०आई०आर० के गैंगचार्ट एक ही थे या अलग–अलग ये जानकारी नहीं है। उसने विवेचक को एक ही दिन में दो मुकदमें गैंगस्टर एक्ट के दर्ज करने वाली बात बतायी थी कि नहीं, ध्यान नहीं है। उसने एक अन्य मुकदमा अ०सं०–06/2007 इन्ही मुल्जिमानों के खिलाफ बलवे की धारा में चिक किता की थी। उसने दोनों एफ०आई०आर० गैंगस्टर एक्ट में गैंगचार्ट अनुमोदन के आधार पर दर्ज की थी। यह कोई जरूरी नहीं है कि एस०एच०ओ० के लिखित आदेश पर मुकदमा पंजीकृत है। वादी की तहरीर पर ही मुकदमा पंजीकृत कर लेते है। यह कहना गलत है कि उसने उच्चाधिकारियों के दबाव में मुकदमा पंजीकृत किया है। यह भी कहना गलत है कि उसने न्यायालय में झूँठी गवाही दी है।

**20–** अभियोजन साक्षी **पी0 डब्लू0–05 बबिता** को परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 06.01.2007 को उसके पति राजीव गुप्ता दुकान पर बैठे हुए थे। दिन के 01:35 बजे उसके पति को गोली श्यामवीर, तेजवीर, सुखवीर, धर्मवीर, कल्लू उर्फ योगेश, रिंकू उर्फ शीलेन्द्र व मंजीत ने जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी, जिससे उसके पति राजीव गुप्ता घायल हो गये थे, जिसकी रिपोर्ट उसने थाने में लिखायी थी। गवाह को कागज संख्या 72 दिखाया तो गवाह ने बताया इस पर उसका नाम लिखा था। गवाह को कागज पढ़कर सुनाया तो बताया कि इसमें वही बाते लिखी है, जो उसने तहरीर में लिखी थी।

**21–** इस साक्षी ने बचाव पक्ष की जिरह में कथन किया है कि उसके पति की दुकान व उसका घर आमने–सामने है, बीच में रोड है। उसका नाम एफ०आई०आर० में बतौर गवाह लिखा था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका बयान पुलिस ने 6–7 तारीख को लिया था, महीना व सन् वह नहीं बता सकती। उसे अब यह ध्यान नहीं है कि उसकी गवाही आज से पहले धारा 307 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ, के मामले में किसी न्यायालय में हुई है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके पति ने धारा 307 भा0 दं0 सं0 वाला मुकदमा पढ़कर सुनाया गया, जिसमें गवाह चश्मदीद साक्षी नहीं है, वादी मुकदमा है। उसे यह भी जानकारी नहीं है कि धारा 307 भा0 दं0 सं0 वाला मुकदमा छूट गया या नहीं। वह आज न्यायालय का सम्मन प्राप्त होने के बाद गवाही देने आयी है। यह कहना गलत है कि पैसे की लेन देन को लेकर मुल्जिमानों पर झूंठा मुकदमा लिखा दिया है और यह कहना भी गलत है कि वह आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है।

**22–** धारा–3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत आरोप साबित करने के लिए अभियोजन को मुख्यतः निम्नलिखित तथ्यों को साबित किया जाना चाहिए:–

1. अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है।
2. अभियुक्त द्वारा भा0 दं0 सं0 के अध्याय 16, 17 व 22 के अन्तर्गत या धारा
   2(ख) गैंगस्टर एक्ट में उल्लिखित अन्य अपराध कारित किये गये हों।
3. इन अपराधों को कारित करने का उद्देश्य–
   (i)–समाज में भय या आतंक व्याप्त करना या
   (ii)–अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए
   भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त करना हो।

**गिरोह की परिभाषा धारा 2(ख) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 में निम्न प्रकार दी गयी हैं–**

''गिरोह'' का तात्पर्य–ऐसे व्यक्तियों के समूह से है जो लोक–व्यवस्था को अस्त–व्यस्त करने या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टैम्पोरल), आर्थिक–भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध, संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 अथवा एन0 डी0 पी0 एस 0 एक्ट अथवा अन्य किसी अधिनियम के प्रावधानों में अपराध करना या विधि सम्मत प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया द्वारा सम्पत्ति, स्थावर सम्पत्ति पर अध्यासन करना या कब्जा लेना, या स्थावर सम्पत्ति पर चाहे स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष में हक या कब्जा के लिए मिथ्या दावा करना, या किसी लोक सेवक या किसी साक्षी को अपने विधिपूर्ण कर्तव्यों का पालन करने से रोकना या रोकने के लिए प्रयत्न करना, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 या सार्वजनिक द्युत अधिनियम 1867 (अधिनियम सं03 सन् 1867) की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध, या किसी व्यक्ति को विधिपूर्ण नीलामी आदि में निविदा करने से रोकने, किसी व्यक्ति को अपने विधिपूर्ण कारोबार, वृत्ति, व्यापार या जीविका या उससे सम्बद्ध किसी अन्य विधिपूर्ण क्रियाकलाप को सुचारू रूप से करने से रोकना भा0 दं0 सं0 की धारा 171 ई से सम्बन्धित अपराध या उसमें विध्न डालना, या जनता में दहशत संत्रास या आतंक फैलाना, या फिरौती उद्योपति करने के आशय से किसी व्यक्ति का व्यपहरण या अपहरण करना, या अन्य उल्लिखित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

**''गिरोहबन्द'' का तात्पर्य–किसी गिरोह के सदस्य या सरगना या संगठक से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो खण्ड (ख) में प्रमाणित किसी गिरोह के क्रिया कलाप के लिए, चाहे ऐसे क्रिया कलाप के लिए जाने के पूर्व या पश्चात, दुष्प्रेरित करता है या उसमें सहायता देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसे क्रिया कलाप किये हो, संश्रय देता है।**

**गैंग की परिभाषा**–से यह स्पष्ट है कि गैंग का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों के समूह है जो हिंसा या हिंसा का भय दिखाकर धारा 2 (ख) में उल्लिखित अपराधों को इस उद्देश्य से कारित करे कि–

1–समाज में भय व आतंक व्याप्त हो या

2–अभियुक्त ने भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किये हो।

**23–** विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) द्वारा दौरान बहस यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में गैंगचार्ट में उल्लिखित अपराध कारित कर समाज में भय कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा संगठित गिरोह के सदस्य के रूप में भौतिक, आर्थिक एवं दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है। अभियुक्त का समाज में इतना भय व्याप्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके विरूद्ध कोई आवाज नहीं उठायी जा सकती। अभियुक्त पर हत्या, जबरन वसूली व हत्या का प्रयास जैसे अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति के है, जिन्हें अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0–01 लगायत पी0 डब्लू0–05 द्वारा अपनी साक्ष्य से बखूबी साबित किये हैं। अभियुक्त द्वारा उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा–02 में वर्णित अपराध कारित किया गया है। अतः अभियुक्त को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध करते हुए दण्ड से दण्डित किया जाये।

**24–** अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) के तर्कों का खण्डन करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्त को वादी मुकदमा द्वारा उपरोक्त मामले में पुलिस ने फर्जी मुकदमा लिखकर झूॅठा फंसाया गया है। अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को खुश करने के लिए घर से पकड़ कर उनका चालान किया गया है। अभियुक्त का कोई गैंग नहीं है, न ही वे किसी गैंग के सदस्य नहीं है, न ही उनका समाज में कोई भय व आतंक है, उसके द्वारा किसी से अवैध धन की वसूली नहीं की गयी

है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किसी भी साक्षी की साक्ष्य में यह नहीं आया है कि अभियुक्त द्वारा अनैतिक क्रिया कलापों से कौन–कौन सी अवैध चल, अचल सम्पत्ति अर्जित की गयी है, ना ही पत्रावली पर इस आशय का कोई प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू0–03 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया है कि उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16, 17, 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानों ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया हो या समाज में भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चायें थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक पर्याप्त बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। उसने गैंगचार्ट मे दर्शाये गए मुकदमों के विवेचक से उनके बारे में क्या कार्यवाही की जा रही, है उनके बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमों ने अपराध करके संपति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना में नहीं दी। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि गैंगचार्ट में दर्शित मुकदमें अ०सं०–83/2006, धारा 394, 302 भा०दं०सं० व अ०सं०–06/2007, धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा०दं०सं० में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है और निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गयी है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियुक्त अधिरोपित आरोप से दोषमुक्त होने योग्य है।

**25–** मैंने, राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का गहन परिशीलन किया।

**–निष्कर्ष–**

**26–** पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही उसके विरूद्ध दर्ज मु0अ0सं0–06/2007, धारा 147,148,307,504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, मु0अ0सं0–83/2006, धारा 394,302 भा०दं०सं०, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र, एन०सी०आर०–03/2007, धारा 504,506 भा0दं0सं0, थाना निधौलीकलॉ, जिला एटा बनाम रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के आधार पर की गयी थी। दौरान विचारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अ०सं०–83/2006 से सम्बन्धित एस०एस०टी० संख्या–26/2007 में पारित निर्णय दिनांकित 28–08–2009 की छायाप्रति कागज संख्या 67ब/3 लगायत 67ब/5, अ०सं०–06/2007 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–679/2008 में पारित निर्णय दिनांकित 02–06–2010 की छाया प्रति कागज संख्या 67ब/6 लगायत 67ब/21 दाखिल की गयी है। उक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को अ०सं०–83/2006 एवं अ०सं०–06/2007 के मामलों में दोषमुक्त किया जा चुका है।

**27–** अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में एच०सी०पी० सोपाली सिंह को पी0डब्लू0–01 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी के द्वारा अ०सं०–83/2006, धारा 302 भा०दं०सं० की एफ०आई०आर० प्रदर्श क–01, जी०डी० रपट नं०–15 प्रदर्श क–02 को अपने लेख व हस्ताक्षर से साबित किया गया है।

**28–** अभियोजन द्वारा अपने मामले को साबित करने के लिए पी0डब्लू0–02 सेवानिवृत्त निरीक्षक श्रवण कुमार यादव को अभियोजन साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के वादी मुकदमा है। उक्त साक्षी के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और गैंगचार्ट को प्रदर्श क–03 को अपने हस्ताक्षर एवं एफ०आई०आर० प्रदर्श क–04 को उसके द्वारा जुबानी बोलने पर सी०सी० तहसीलदार द्वारा किता किया जाना बताते हुए साबित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 02 पर कथन किया है

कि रिंकू पर उसके थाने पर इन मुकदमों के अलावा अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले यह जानकारी नहीं की थी कि रिंकू व श्यामवीर ने कोई अवैध सम्पत्ति बनाई है। विवेचक ने जानकारी की होगी। उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले मुल्जिमान की अवैध रुप से धनोर्पाजन के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना किसी से प्राप्त नहीं की थी।

**29–** इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उक्त साक्षी वर्तमान मामले का वादी मुकदमा है, परन्तु उसके द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रकट नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि अभियुक्त से किस प्रकार समाज में भय या आतंक व्याप्त था तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं या अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा भौतिक, आर्थिक व दुनियावी लाभ प्राप्त किया गया है।

**30–** अभियोजन द्वारा अपने मामले के समर्थन में सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव पी0 डब्लू0–03 को परीक्षित कराया गया है, जो कि उक्त प्रकरण के विवेचक है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोप पत्र संख्या–23/2007 को अपने हस्ताक्षर से प्रदर्श–05 के रूप में साबित किया है तथा अभियुक्तगण श्यामवीर, कल्लू उर्फ योगेश, रिंकू उर्फ शैलेन्द्र के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति को प्रदर्श क–06 को तत्कालीन एस०एस०पी० द्वारा देना बताते हुए उनके हस्ताक्षर से साबित किया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 में कथन किया है कि उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16,17 व 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानो ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया है या समाज मे भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चाए थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक का पर्याय बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया। उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि मुल्जिमानों ने अपराध करके सम्पत्ति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना मे नहीं दी।

**31–** इस प्रकार उक्त साक्षी के बयान के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके द्वारा गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट घटक के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य संकलित करने की ना तो चेष्टा की गयी और ना ही ऐसा करने में वे सफल रहे है। जबकि यह साक्षी मामले का विवेचक है। अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त द्वारा क्या–क्या आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित किये गये तथा किस प्रकार से समाज में उनका डर व आतंक व्याप्त था। उपरोक्त परिस्थिति अभियोजन के मामले को पूर्णतः खण्डित करती है और ऐसे साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराने का आधार पर्याप्त नहीं है।

**32–** प्रकरण में अभियोजन के द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी पी0 डब्लू0–05 बबिता को परीक्षित कराया गया है, जो गैंगचार्ट प्रदर्श क–03 में वर्णित मु0 अ 0 सं0–06/2007 की वादिया मुकदमा है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह के पेज क्रमांक 02 में कथन किया है कि उसके पति की दुकान व उसका घर आमने–सामने है, बीच में रोड है। उसका नाम एफ०आई०आर० में बतौर गवाह लिखा था। पुलिस ने उसका बयान लिया था। उसका बयान पुलिस ने 6–7 तारीख को लिया था, महीना व सन् वह नहीं बता सकती। उसे अब यह ध्यान नहीं है कि उसकी गवाही आज से पहले धारा 307 भा0 दं0 सं0, थाना निधौलीकलॉ, के मामले में किसी न्यायालय में हुई है। उसे यह भी याद नहीं है कि उसके पति ने धारा 307 भा0 दं0 सं0 वाला मुकदमा पढ़कर सुनाया गया, जिसमें गवाह चश्मदीद साक्षी नहीं है, वादी मुकदमा है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि उक्त मुकदमा (अपराध संख्या–6/2007) में अभियुक्त को विचारण उपरान्त दोषमुक्त किया जा चुका है।

**33–** पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियोजन साक्षी **सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रामप्रकाश यादव (पी0 डब्लू0–03)** के द्वारा अपनी जिरह के पेज क्रमांक–02 में स्पष्टतः कथन किया गया है कि **उसने मुल्जिमान की संपति के बारे में कोई जानकारी नहीं की थी। उसने धारा 16,17 व 22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत यह भी जानने का प्रयास नहीं किया था कि इन मुल्जिमानो ने किन–किन लोगों को डराया धमकाया है या समाज मे भय व्याप्त किया है। क्षेत्र में चर्चाए थी कि इन मुल्जिमानों का आतंक का पर्याय बना हुआ है, लेकिन उसने इसके बाबत कोई जानकारी करने का प्रयास नहीं किया।** उसकी विवेचना मे यह भी नहीं आया कि **मुल्जिमानों ने अपराध करके सम्पत्ति अर्जित की है। उसने मुल्जिमानों के संपत्ति के बारे कोई विवरण अपनी विवेचना मे नहीं दी**। अभियोजन साक्षी **निरीक्षक श्रवण कुमार यादव (पी0 डब्लू0–02)** जिनके द्वारा वर्तमान प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–03 तैयार किया गया है तथा उसी के आधार पर प्रदर्श क–04 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई है, उनके द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि रिंकू पर उसके थाने पर इन मुकदमों के अलावा अन्य कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। **उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले यह जानकारी नहीं की थी कि रिंकू व श्यामवीर ने कोई अवैध सम्पत्ति बनाई है।** विवेचक ने जानकारी की होगी। उसने गैंगचार्ट बनाने से पहले मुल्जिमान की अवैध रुप से धनोर्पाजन के सम्बन्ध में कोई लिखित सूचना किसी से प्राप्त नहीं की थी।

**34–** इस अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक लाभ से तात्पर्य कुछ धनी लाभ से है, जब कोई व्यक्ति धनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से ऐसा कोई कार्य करता है, जो अधिनियम की धारा 2(ख) में परिभाषित अपराधों की परिधि में आ जाता है, तो वह आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को अकृष्ट करता है। हस्तगत मामलों में अभियोजन साक्षी सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक राम प्रकाश यादव पी0 डब्लू0–03 एवं निरीक्षक श्रवण कुमार यादव पी०डब्लू०–02 के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त नहीं की है ओर न ही भौतिक व आर्थिक रूप से सम्पत्ति कमायी गयी है। इसी प्रकार भौतिक या दुनियावी लाभ या अन्य लाभ से तात्पर्य कोई ऐसा लाभ प्राप्त करने से है, जो उस अपराध करने वाले व्यक्ति को सुख, सुविधा में वृद्धि करता है या उसकी अहम की चेष्टा की पूर्ति करता है या समाज में उस गिरोह की धमक कायम करने की क्षमता रखता है। उक्त गिरोह उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किये जा रहे उस आपराधिक कृत्य हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन अथवा प्रपीड़न द्वारा प्राप्त कर रहा है, तब यह माना जायेगा कि उस गिरोह के द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य इस अधिनियम के प्रावधान को आकर्षित कर रहा है। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि अभियुक्त के द्वारा कौन सी सुख सुविधा में वृद्धि की गयी और समाज में उनकी धमक किस प्रकार से कायम रही।

**35–** इसके अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट प्रदर्श क–03 में दर्शित मु0 अ 0 सं0–83/2006 (निर्णय की प्रमाणित प्रति कागज संख्या 67 ब/3 लगायत 67 ब/5) में पारित निर्णय दिनांकित 28–08–2009 एवं अ०सं०–06/2007 (निर्णय की छाया प्रति कागज संख्या 67 ब/6 लगायत 67 ब/21) में पारित निर्णय दिनांकित 02–06–2010 के माध्यम से अभियुक्त रिंकू उर्फ शैलेन्द्र को दोषमुक्त किया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में मुलतः इन्हीं मुकदमों के आधार अभियुक्त के विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी तथा मामले के विवेचक को अभियुक्त द्वारा अवैध धन अर्जित करने तथा उसका समाज में भय व आतंक व्याप्त होने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य न मिला हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा विधि व्यवस्था **अब्दुल कादिर खॉन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 ए 0 एच 0 सी0 5837** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अगर अभियुक्त को न्यायालय द्वारा उन मुकदमों में दोषमुक्त कर दिया गया है जिनके आधार पर उसके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की

गयी है तो अभियुक्त को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी करार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **यामीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 ए0एच0सी0 175690** में भी अवधारित किया गया है कि यदि मूल केस जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्यवाही की गयी है, यदि वह केस समाप्त कर दिया जाये तो गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही की नीव ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्था के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर अभियुक्त को उन सभी मुकदमों में न्यायालय द्वारा विचारणोपरान्त उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जा चुका है तो उनके विरूद्ध गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत विचारण करने का कोई आधार शेष नहीं रह जाता है।

**36–** इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा पुलिस मेनुअल के पैरा–253 व 254 के अनुपालन में कोई गिरोह पंजी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अभियुक्त नसरू का कोई गिरोह था, जिसका इन्द्राज गिरोह पंजी रजिस्टर में था। प्रारूप संख्या–45 में भी गिरोह पंजी होने के सम्बन्ध में कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रकट हो कि गिरोह तथा गिरोह के सभी सदस्य थाने पर रखी जाने वाली गिरोह पंजी में नामित हैं।

**37–** इस प्रकरण में अभियोग पत्र प्रदर्श क–05 पर दिनांक 16–05–2007 को प्रसंज्ञान लिया गया है। उस समय गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना हेतु शासनादेश संख्या–137 प्र०स0/6–पु०–11–2003–58 (रिट)/2003 दिनांकित 02 जनवरी 2004 प्रचलित था। उक्त शासनादेश के पैरा नं०–06 में स्पष्टतः उल्लेख है कि जिन मामलों के आधार पर उ०प्र० गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी हे, उसी आधार पर पुनः कार्यवाही न की जाये, अर्थात किसी गिरोह के विरूद्ध उ०प्र० गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बाद कोई नया आपराधिक कृत्य, जो इस अधिनियम के अपराधों की परिधि में हो, प्रकाश में आने पर ही उ०प्र० गिराहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाये। इस प्रकरण में गैंगचार्ट प्रदर्श क–03 में उल्लिखित अपराधों के आधार पर ही एक अन्य अपराध संख्या–43/2007 पंजीबद्ध हुयी है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब एक बार गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध हो गया तो पुनः उन्हीं अपराधों के आधार पर दूसरा अपराध भी पंजीबद्ध किया गया, जो कि विधिक रूप से सही नहीं है। अतः स्पष्ट है कि विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया और मामले में ऋजु विवेचना नहीं की गयी है।

**38–** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **स्टेट आफ यू०पी० बनाम गंभीर सिंह (2005) 11 एस०सी०सी० 271** में यह मत व्यक्त किया गया है कि पत्रावली पर अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उससे दो प्रकार के निष्कर्ष निकल रहे हैं, एक अभियुक्त के पक्ष में जाता है और दूसरा अभियोजन के पक्ष में तो जो विचार अभियुक्त के पक्ष में जा रहा है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**39–** न्यायालय के मतानुसार उपरोक्त साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्तगण को गिरोहबंद अधिनियम के अन्तर्गत दोषी ठहराये जाने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गैंगचार्ट प्रदर्श क–03 में उल्लिखित मामला अ०सं०–83/2006 एवं अ०सं०–06/2007 के प्रकरण में अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा स्पष्टतः यह कथन किये गये हैं कि अभियुक्त के पास कोई चल, अचल सम्पत्ति अपराध से अर्जित नहीं की गयी थी। इसके अतिरिक्त अभियोजन गिरोहबंद अधिनियम के विशिष्ट घटक को अतुल्य साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त अधिरोपित आरोप में संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

**–आदेश–**

अभियुक्त **रिंकू उर्फ शैलेन्द्र** को **जी0एस0टी0 संख्या–104/2007 उ0प्र0 राज्य** बनाम **रिंकू उर्फ शैलेन्द्र**, मुकदमा **अपराध संख्या–44/2007**, थाना **निधौलीकलॉ**, जिला **एटा** के प्रकरण में उनके विरूद्ध अधिरोपित आरोप अंतर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 से **दोषमुक्त** किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के निजी बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं जमानतदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437ए (धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के प्रावधान के अनुपालन में मुव०–20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि की दो जमानते न्यायालय में अन्दर सप्ताह दाखिल करें कि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

दिनांक 02–04–2026

( कमालुद्दीन )
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

दिनांक 02–04–2026

( कमालुद्दीन )
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–03, एटा।
J.O. Code U.P. 2690